

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022-23/ 55540

दिनांक 8/5/24

निमित्त:-

अधिशायी अभियन्ता

सा 0 नि 0 वि 0 खण्ड शाहवादा ।

विषय :- जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत भंवरगढ से रणवासी सडक के निर्माण हेतु 2.50 है 0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के कम में

Proposal ID NO - FP/RJ/ ROAD /6996/2014 (2.5 ha)

संदर्भ:- अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राज 0 जयपुर के कार्यालय में दिनांक 07.05.2024 को मितिग में दिये गये निर्देशों के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भंवरगढ से रणवासी सडक के निर्माण हेतु 2.50 है 0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम स्तरीय सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र क्रमांक 555 दिनांक 27.12.2018 को जारी की गई थी । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 524-27 दिनांक 22.01.2024 को मांग पत्र जारी किया गया था । अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राज 0 जयपुर के कार्यालय में दिनांक 07.05.2024 को मितिग में उक्त मांग पत्र सही पाये जाने पर सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः प्रेषित है।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित बिन्दु संख्या-2 के कम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @252 से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @259 से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.5	164100	410250	2.5	198000	495000	410250	84750

2. बिन्दु संख्या - 3 के (ग) के कम में NPV की राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार तत्समय प्रचलित दर से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार NPV की वर्तमान नवीन दर से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.5	626000	1565000	2.5	957780	2394450	1565000	829450

3. FCA उल्लंघन के कम में MOEF के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डातमक राशि

a) उल्लंघन की दिनांक - 30.06.2021

b) कुल प्रभावित क्षेत्रफल - 2.50 है 0

c) NPV की राशि - 957780 प्रति हैक्टर

d) शास्ती की गणना 30.06.2021 से

$$2.5 \times 3 \times 957780 = 7183350 \text{ /-}$$

e) यदि प्रस्ताव जन उपयोगी है तो गणना की राशि का 20% शास्ती के रूप में देय होगा इस प्रकार राशि जो जमा कराई जानी शेष है।

$$7183350 \times (20/100) = 1436670$$

4. कुल राशि का विवरण

क्र. स.	मद का नाम	चाही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि	495000	410250	84750
2	NPV की राशि	2394450	1565000	829450
3	दण्डातमक राशि	1436670	0	1436670
	योग	4326120	1975250	2350870

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि $84750 + 829450 + 1436670 = 23,50,870$ रु. केम्पा मद Online e- portal (<https://parivesh.nic.in/>) में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(अनिलयादव)

उप वन संरक्षक
बारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2024 -25 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0बारां।

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक
बारां